प्रेस नोट दिनांक-02.01.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 187/2020 धारा 302/323/504/120 बी व 30 शस्त्र अधिनियम के वाँछित अभियुक्त राहुल रैकवार पुत्र कमलेश रैकवार निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-29.12.2020 को समय लगभग 20.30 बजे थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम प्रसिद्धपुर में को कमलेश रैकवार द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से अशोक कुमार सिंह व शुभम सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गयी था तथा कमलेश रैकवार के पुत्र राहुल रैकवार द्वारा कमलेश रैकवार को पकड़ने का प्रयास करने वाले आकाश सिंह व उसकी मां को लाठी मारकर घायल कर दिया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 187/2020 धारा 302/323/504 भादवि0 पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना के दौरान धारा 120 बी व 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राहुल रैकवार उपरोक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी
2. वरि0उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा
3. आरक्षी पंकज कुमार यादव
4. आरक्षी मधुसूदन पाठक

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 10 अभियुक्तों को 55 लीटर कच्ची शराब व 67 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा गोड़ा मोड़ से अभियुक्त लवकुश पुत्र चुन्नूलाल निवासी बरूई रूकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री रामसिंह थाना बरगढ़ तथा आरक्षी शिवधनी द्वारा पतेरी तिराहा से अभियुक्त अजय कुमार उर्फ कल्लू साहू पुत्र केशव लाल निवासी खोहर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रज्जन राव थाना मानिकपुर तथा आरक्षी रामजी द्वारा कल्याण केन्द्र चौराहा से अभियुक्त सुशील पाठक पुत्र शिवशरण निवासी इन्द्रानगर कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी सरैया तथा आरक्षी राघवेन्द्र यादव द्वारा हनुआ मोड़ से अभियुक्त चन्द्रबान पुत्र रामकृपाल निवासी गड़रियनपुरवा हनुआ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 02/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री विवेकानन्द दुबे तथा आरक्षी संदीप कुमार थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी से अभियुक्त विजय आरख पुत्र शिवप्रसाद निवासी इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(vi) उ0नि0 श्री असलम खां तथा उ0नि0 सत्यमपति त्रिपाठी थाना रैपुरा द्वारा सखी ढ़ाबा के पास से दुर्गेश उर्फ बिलउहा पुत्र नत्थू रैदास निवासी अरवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव तथा आरक्षी प्रवीण पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा नादिन चौराहा से अभियुक्त रज्जू यादव पुत्र तुइयां निवासी पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय तथा उ0नि0 श्री राजकपूर यादव थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा बरूआ मोड़ तिराहा से अभियुक्त आर्यन उर्फ छोटू पुत्र कामता प्रसाद निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ix), उ0नि0 श्री कन्हैयालाल पाण्डेय तथा उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा प्राइमरी स्कूल के पास राजापुर से अभियुक्त सुरेश वर्मा पुत्र कोदूराम वर्मा निवासी माधवगंज थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 02/1 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(x). उ0नि0 श्री सलाउद्दीन थाना मारकुण्डी तथा आरक्षी सुब्बालाल यादव द्वारा अभियुक्त सीताराम उर्फ बोदल निवासी टिकरिया कोलान थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 02/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर द्वारा जनता में भय एवं आतंक करने वाले अभियुक्त (1) राजा पुत्र रामचरन निवासी रगौला (2) दीपक पुत्र राजकिशोर निवासी सिकरी अमान (3) मोतीलाल केवट पुत्र चुनकू निवासी रीठी (4) पंचू पुत्र मुरली निवासी लमियारी थाना राजापुर (5) नरेश पुत्र शिवमोहन निवासी लमियारी (6) उमाकान्त पुत्र छबिनाथ (7) रामबाबू पुत्र सुजीत पाल (8) मनोज पुत्र अनिरूद्ध निवासीगण बरद्वारा थाना राजापुर (9) रघुराज पुत्र शिवबक्श (10) धर्मा पुत्र रामऔतार (11) रामदयाल पुत्र शिवबक्श (12) देवनाथपुत्र रामदेउवा (13) बिधुराई पुत्र रामदेउआ (14) बीरेन्द्र पुत्र जागेश्वर प्रसाद निवासीगण अमवा थाना राजापुर (15) शोभती सिंह पत्नी अचल सिंह निवासी कस्बा व थाना राजापुर (16) संजय पुत्र हरिश्चन्द्र सोनकर निवासी सरधुआ (17) सन्दीप सिंह पुत्र कोमल निवासी महुआगांव (18) सर्वेश सिंह पुत्र देवनाथ सिंह (19) उल्लू उर्फ जीतेन्द्र (20) नागेन्द्र पुत्रगण बच्छराज (21) उमेश पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासीगण सरधुआ (22) शैलेन्द्र सिंह पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी भदेदू (23) भोदू उर्फ गोकरन पुत्र सुन्दर केवट निवासी सुरवल (24) मुन्ना त्रिपाठी पुत्र रामनिवाज निवासी तीरमऊ (25) जीमल पुत्र हमीद निवासी सरधुआ राजापुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 110 जी की कार्यवाही की गयी।

(4). यूपी 112 जनपद चित्रकूट पीआरवी 2050 थाना मऊ अंतर्गत दिनाँक 01/01/2021 को समय 10:03 बजे इवेंट संख्या 2910 द्वारा घटनास्थल छिवलहा इलाहाबाद रोड हाइवे पर ग्राम कटिया थाना मऊ से कॉलर श्री सत्यनारायण द्वारा सूचना दी है कि ढाला(पिकअप) का जंगली जानवर के बीच मे आने से एक्सीडेंट हो गया है 3-4 लोग घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक लोडर गाड़ी चित्रकूट से प्रयागराज जा रही थी तभी कटिया गांव के पास अचानक नील गाय के सामने आ जाने से गाड़ी नील गाय से टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे लोडर सवार 03 लोग घायल हो गये है जिसमें 02 लोगो के पैर टूट गये है सभी घायलों को पीआरवी वाहन और एम्बुलेंस की मदद से chc अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है।

पीआरवी कर्मियों ने घायलो के घर वालो को भी घटना की सूचना दी गई। थाना प्रभारी को भी घटना के संबंध में बताया गया है।

<u>पीआरवी स्टाफ</u>

1. सब कमांडर - आरक्षी जुबैर अली
2. महिला आरक्षी शिल्पा पांडेय
3. महिला आरक्षी शिखा सिंह
4. पायट - आरक्षी जय करन सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़ों को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये 02 परिवारों को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सोना जायसवाल पत्नी शंकर रसेदार निवासी गोसाईं पुरवा थाना राजापुर चित्रकूट द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति, पुत्र व पुत्रवधु उसके साथ मारपीट करते है तथा खाना खर्चा नही देते है तथा आवेदक श्री संतोष कुमार केवट पुत्र भूरा प्रसाद निवासी जीआईसी इण्टर कालेज के पास पदमाकर चौराहा बांदा जनपद बांदा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी मायके गनीवा थाना राजापुर चली गयी है और आ नहीं रही। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा मुख्य आरक्षी अरूण द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनाँक 02.01.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 02.01.2021 एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा पुरुषोत्तम इण्टर कालेज, आर्यवर्त बैंक, शिवपुर तिराहा, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा कचहरी, पटेल चौराहा, सीआईटी रोड, सोनेपुर गणेश बाग व चमड़ा मंडी में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम रौली कल्याणपुर, गड़रियाँ पुरवा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ ग्राम मुरका में जाकर राजकीय हाई स्कूल मुरका में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट के द्वारा टिकरिया कोचिंग सेंटर में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा खटवारा, गईला रोड, नादिन कुर्मियान में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।